



इलेक्शन टुडे

दिनांक - 09 अक्टूबर 2018

अंक - 04

विधान सभा चुनाव में शिकायतों के निराकरण हेतु कॉल सेंटर शिकायत निवारण हेतु टोल फ्री नंबर 1950

भोपाल : मंगलवार, 09 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि विधान सभा चुनाव 2018 के लिये राज्य स्तर पर कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसका टोल फ्री नं. 1950 है। इस नंबर पर चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। शिकायतों का सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से निराकरण किया जा सकेगा। मतदाता परिचय पत्र, मतदाता सूची, आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन और निर्वाचन से संबंधित किसी भी शिकायत को टोल फ्री नंबर 1950 पर दर्ज करने की व्यवस्था भी उपलब्ध है। राज्य स्तरीय कांटेक्ट सेंटर 1950 नंबर पर आई शिकायतों को एन.जी.एस पोर्टल पर दर्ज करने के लिये 10 एकजीक्यूटिव नियुक्त किये गये हैं।

जिलों में भी इसी तर्ज पर जिला स्तरीय कांटेक्ट सेंटर की स्थापना की गयी है। जिन पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेंटर पर दर्ज शिकायतों की सतत् मॉनिटरिंग की जाकर शिकायतों का समय पर निराकरण किया जा सकेगा। जिलों में उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को जिला-स्तरीय कॉल सेंटर का नोडल अधिकारी बनाया गया है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला-स्तर पर आने वाली शिकायतें एन.जी.एस (राष्ट्रीय शिकायत सेवा) पर प्रेषित होगी। शिकायतों को एन.जी.एस के माध्यम से जिलों में संचालित जिला स्तरीय कांटेक्ट सेंटर पर भेजा जाएगा। जिला स्तर पर नोडल अधिकारी समय-सीमा में शिकायत का निवारण कर एन.जी.एस. पोर्टल पर फीड करवायेगा।


श्री कान्ता राव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्थापित इन्टीग्रेटेड कॉन्टेक्ट सेंटर टू-वे कम्यूनिकेशन सिस्टम पर काम करेगा। शिकायतकर्ता द्वारा जब शिकायत दर्ज करायी जाएगी, तो उसके साथ अपनी जानकारी भी देना होगी। जिसके माध्यम से शिकायत दर्ज की जाने के बाद यूनिक आईडी नंबर के माध्यम से शिकायत क्रमांक आवेदक के मोबाईल नम्बर पर पहुँच जाएगा। शिकायत की वस्तु-स्थिति और की गई कार्रवाई के लिये आवेदक को 1950 नंबर पर कॉल कर शिकायत क्रमांक बताना होगा। शिकायत निवारण होने पर शिकायतकर्ता के पास शिकायत के निराकरण का संदेश पहुँचेगा। यदि शिकायतकर्ता की गई कार्रवाई से संतुष्ट है तो शिकायत बन्द हो जाएगी। शिकायतकर्ता सहमत नहीं है तो पुनः 1950 पर कॉल कर शिकायत को ओपन करवा सकेगा।

श्री राव ने बताया कि एन.जी.एस पोर्टल से यूआरएल <https://eci-citizenservices.eci.nic/default.aspx> पर जाकर स्वयं अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिये शिकायतकर्ता को sign up पर जाकर अपना मोबाईल नं. एवं ईमेल आईडी रजिस्टर करना होगा, इसके पश्चात शिकायतकर्ता अपनी शिकायत स्वयं दर्ज कर सकता है एवं लॉग इन ऑप्शन पर जाकर अपनी शिकायत की स्थिति ज्ञात कर सकता है। शिकायत के निराकरण से संतुष्ट नहीं होने पर आवेदक स्वयं अपनी शिकायत को रि-ओपन करवा सकते हैं।

कानून व्यवस्था के लिये प्रशासन की कार्यवाही जारी

जमा कराये गये 42 हजार 417 शस्त्र

भोपाल : मंगलवार, 09 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि 6 अक्टूबर 2018 को प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद 8 अक्टूबर 2018 तक कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत 111 अवैध हथियार जब्त किये गये हैं और 42 हजार 417 शस्त्र जमा कराये गये हैं। इस दौरान एक हजार 649 गैर जमानती वारंट तामील कराये गये हैं और 3 हजार 399 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत 1 लाख 60 हजार 456 प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है। वाहनों के दुरुपयोग पर 295 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।



जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल



mpinfo.org

dprmp.org

mpnewsarch.org

Follow us:



[/jansampark.madhyapradesh](https://www.facebook.com/jansampark.madhyapradesh)



[@jansamparkMP](https://twitter.com/jansamparkMP)



[jansamparkMP](https://www.youtube.com/jansamparkMP)

